भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 509

(जिसका उत्तर मंगलवार, 01 मार्च, 2016 को दिया जाना है)

कंपनियों द्वारा सीएसआर पर किए जाने वाले खर्च में कमी

509. श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो तिहाई शीर्ष कंपनियां अपने लाभ का कम-से-कम 2 प्रतिशत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी कार्यकलापों पर खर्च करने में विफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किसी भी ऐसी कंपनियों ने सीएसआर पर खर्च में कमी के लिए कोई स्पष्टीकरण दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने कंपनियों द्वारा सीएसआर संबंधी उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क) से (ग): उन 460 सूचीबद्ध कंपनियों के सीएसआर व्यय, जिन्होंने अपनी वेबसाइटों पर वार्षिक रिपोर्ट रखी है, दर्शाते हैं कि कंपनियों ने 2014-15 के दौरान सीएसआर पर कुल 6,337 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। इन 460 कंपनियों में से 266 कंपनियों ने अपने औसत लाभ का 2 प्रतिशत से कम खर्च किया है।

इन कंपनियों द्वारा लाभ का न्यूनतम 2 प्रतिशत सीएसआर पर खर्च नहीं करने के कारणों का सारांश इस प्रकार है –

- सीएसआर प्रावधान के कार्यान्वयन का प्रथम वर्ष होने के कारण कंपनी सुविचारित सीएसआर नीति नहीं बना सकी;
- दीर्घ अवधि के सीएसआर कार्यक्रम/परियोजना चुनना;
- वर्ष के अंत तक कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त न होना;
- उपयुक्त कार्यान्वयन एजेंसी ढूंढने में कठिनाई;
- सीएसआर समितियों के गठन/योजना के कार्यान्वयन/सीएसआर नीतियों की जानकारी इत्यादि में विलंब।

(घ): मंत्रालय ने प्रावधान के अंतर्गत सीएसआर के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद करने तथा कंपनियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 18.06.2014 और 12.01.2016 को क्रमश: स्पष्टीकरण परिपत्र और बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न जारी किए हैं।

*****